इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 141] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2022—चैत्र 10, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2022

क्र. 4877-85-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 31 मार्च, 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेन्द्र सिंह भदौरिया, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ९ सन् २०२२

मध्यप्रदेश वित्त अधिनियम, २०२२

[दिनांक ३१ मार्च, २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक ३१ मार्च, २०२२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ तथा मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, २०१८ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. १. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वित्त अधिनियम, २०२२ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ९ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ (क्रमांक १८ सन् २००५) में, धारा ९ में, उपधारा (५) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाए, अर्थात् :—

''(६) उप-धारा (२) में अन्तर्विष्ट किसी सीमा या लक्ष्य के होते हुए भी, राज्य सरकार वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ से २०२५-२०२६ के दौरान ऐसे अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर सकेगी जैसे कि केन्द्र सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं, जो उप-धारा (२) में अंतर्विष्ट किसी सीमा या लक्ष्य के विरुद्ध संगणित नहीं किए जाएंगे.''.

वृहत् नाम का संशोधन. ३. मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, २०१८ (क्रमांक १२ सन् २०१८) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) में विद्यमान वृहत् नाम के स्थान पर, निम्नलिखित वृहत् नाम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''मध्यप्रदेश राज्य में ग्रामीण आवास एवं परिवहन अधोसंरचना के विकास के लिए अथवा उसके लिए प्राप्त किए गए ऋण के पुनर्भुगतान हेतु निधि उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए, मध्यप्रदेश राज्य में हाई स्पीड डीजल के विक्रय पर उपकर उद्ग्रहीत करने के लिए अधिनियम.''.

धारा ३ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ३ की उप-धारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(१) मध्यप्रदेश राज्य में ग्रामीण आवास एवं परिवहन अधोसंरचना के विकास के लिए निधि उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए, राज्य के भीतर हाई स्पीड डीजल के व्यापारी की कर योग्य कुल राशि पर उपकर उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा.''.

धारा ४ का संशोधन. ५. मूल अधिनियम की धारा ४ में,—

(एक) विद्यमान पार्श्वशीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्वशीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''मध्यप्रदेश ग्रामीण आवास एवं परिवहन अधोसंरचना विकास निधि.'';

(दो) उप-धारा (१) और (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१) इस अधिनियम के अधीन वसूल किए गए उपकर और ब्याज (जुर्माने को छोड़कर) के आगम, प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा किए जाएंगे और संग्रहण तथा उससे हुए वसूली के व्ययों की कटौती करने के पश्चात् इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् रूप से किए गए विनियोजन के अधीन, मध्यप्रदेश ग्रामीण आवास एवं परिवहन अधोसंरचना विकास निधि के नाम से एक पृथक् निधि में प्रविष्ट और अंतरित किए जाएंगे.

(२) मध्यप्रदेश ग्रामीण आवास एवं परिवहन अधोसंरचना विकास निधि में अंतरित रकम को राज्य के भीतर ग्रामीण आवास एवं परिवहन अधोसंरचना के विकास के लिए या उस हेतु लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए व्यय किया जाएगा.".

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2022

क्र. 4877-85-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वित्त अधिनियम, 2022 (क्रमांक ९ सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेन्द्र सिंह भदौरिया, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 9 OF 2022

THE MADHYA PRADESH FINANCE ACT, 2022

[Received the assent of the Governor on the 31st March, 2022; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 31st March, 2022].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Adhiniyam, 2005 and the Madhya Pradesh High Speed Diesel Upkar Adhiniyam, 2018.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-third year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Finance Act, 2022.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 9.

2. In the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Adhiniyam, 2005 (No. 18 of 2005), in Section 9, after sub-section (5), the following sub-section shall be added, namely:—

"(6) Notwithstanding any limit or target contained in sub-section (2), the State Government may receive such additional loans, as may be determined by the Central Government during the financial years 2021-22 to 2025-26, which shall not be reckoned against any limit or target contained in sub-section (2).".

Substitution of long title.

3. In the Madhya Pradesh High Speed Diesel Upkar Adhiniyam, 2018 (No. 12 of 2018) (hereinafter referred to as the principal Act), for the existing long title, the following long title shall be substituted, namely:—

"An Act to levy cess on sale of High Speed Diesel in the State of Madhya Pradesh for the purpose of providing fund for rural housing and for development of transport infrastructure or for repaying the loan taken therefor in the State of Madhya Pradesh.".

Amendment of Section 3.

4. For sub-section (1) of Section 3 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) For the purpose of providing fund for rural housing and for the development of transport infrastructure in the State of Madhya Pradesh, there shall be levied and collected a cess on the taxable turnover of High Speed diesel of a dealer, within the State.".

Amendment of Section 4.

5. In Section 4 of the principal Act,—

(i) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—

"The Madhya Pradesh Rural Housing and Transport Infrastructure Development Fund.";

(ii) for sub section (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

"(1) The proceeds of the cess and interest (other than fines) recovered under this Act shall first be credited to the Consolidated fund of the State and After deduction of the expenses of collection and recovery therefrom shall, under appropriation duly made by law in this behalf, be entered in, and transferred to, separate fund called the Madhya Pradesh Rural Housing and Transport Infrastructure Development Fund.

(2) The amount transferred to the Madhya Pradesh Rural Housing and Transport Infrastructure Development Fund shall be expensed for rural housing, and for the development of transport Infrastructure within the State or for repaying the loan taken therefor.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.